

राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक:- ई-33/प्रयो.सहा./ (121)/2018/

दिनांक :

संशोधन-आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/प्रयो.सहा./सीधी भर्ती/2018/78 दिनांक 01.02.2018 के द्वारा नवनियुक्त प्रयोगशाला सहायक अभ्यर्थी श्री सुशील कुमार पुत्र श्री प्रभुदयाल का पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के अधीन किया गया था में आंशिक संशोधन कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर में किया जाता है। कार्यग्रहण अवधि में 20.03.18 तक वृद्धि की जाती है।

आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।

sd
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर।

दिनांक : 07/03/18

क्रमांक:- ई-33/प्रयो.सहा./ (121)/2018/ 154

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप- 3) विभाग, राज. जयपुर।
5. निदेशक, (जन स्वा./प.क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर/भरतपुर।
7. संबंधित जिला कलेक्टर।
8. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली/धौलपुर।
10. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
11. संबंधित चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर में प्रस्तुत करेंगे। संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति की अभिशंषा पश्चात ही अभ्यर्थी को पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जावेगी।
12. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

K
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर।